Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा — मुकाम : रावतभाटा

बनाम ओ०पी० शेलो का धुहारिया

बाद-पत्र नं० 32 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
03/2026	श्रीमान जिलाकलक्टर महो० चित्तौड़गढ़ द्वारा [illegible] अवकाश घोषित करने से 19/03/26 [illegible]	
03/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा काउन्टर क्लेम के जवाब पेश करने का एक अवसर और चाहा गया। वादी को काउन्टर क्लेम पेश करने के पूर्व के पर्याप्त अवसर दिए गए पुनः न्यायहित के एक अन्तिम अवसर और दिया जाता है। पत्रावली बास्ते जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 09/04/2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	
09/04/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि पत्रावली मे वादी की ओर से कोई कार्यवाही नही चाही गई। तथा वकील वादी द्वारा पत्रावली मे Not-pross किया गया। अतः वाद-पत्र मे वकील वादी द्वारा Not press करने व वादी की ओर से कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहने से वाद पत्र इसी स्तर पर विड्रो मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	Not Press